## राजस्थान सरकार
## परिवहन विभाग

क्रमांकः प 7 (4)परि/नियम/मु./II/92/12004 जयपुर, दिनांक 30-06-2015

## अधिसूचना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 28, 38, 65 और 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 का प्रारूप उससे सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा–प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाये, 15 दिवस के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 3 (ख) दिनांक 15.05.2015 को प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 15.05.2015 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

अतः अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 28, 38, 65 और 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2.29 का संशोधन.**– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2.29 की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"सारणी

| क्र. सं. | प्रयोजन | रकम (रूपयों में) | नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | नियम 2.5 के अधीन अपील के बारे में | 500/– | 2.6 |
| 2. | चिकित्सक द्वारा प्रभावित किए जाने वाले चिकित्सा प्रमाण –पत्र के बारे में | 15/– | 2.7 |
| 3. | प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के बारे में | 200/– | 2.9, 2.10, 2.13 और 13.1 |
| 4. | ड्राईवर के बैज या बैज की दूसरी प्रति के बारे में | 300/– | 2.26, 13.1 |

"

3. **नियम 3.17 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 3.17 की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"सारणी

| क्र. सं. | प्रयोजन | रकम (रूपयों मे) | नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | नियम 3.8 के अधीन अपील के संबंध में | 500/– | 3.8 |
| 2. | कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के बारे में | 300/– | 3.11, 3. 12, 3.13 और 13.2 |
| 3. | कण्डक्टर के बैज और बैज की दूसरी प्रति के बारे में | 300/– | 3.15 और 13.2 |
| 4. | कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति के प्रतिहस्ताक्षर के बारे में | 200/– | 3.16 |

"

4. **नियम 4.28 का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 4.28 से संलग्न विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखति प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"सारणी

| क्र. सं. | प्रयोजन | रकम (रूपयों में) | नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | प्रत्येक मास के लिए अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए<br>(क) परिवहन यान के लिए<br>(ख) गैर–परिवहन यान के लिए | <br>500/–<br>200/– | 4.2 |
| 2. | सभी प्रकार के यानों के लिये ठीक हालत में होने के प्रमाण–पत्र की मंजूरी या नवीकरण से इन्कार करने के मामले में पश्चात्वर्ती निरीक्षण के लिये | 100/– | 4.24 |
| 3. | ठीक हालत में होने के प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति के लिये | 100/– | 4.25 |

29

5. **नियम 5.87 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 5.87 की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"सारणी

| क्र. सं. | प्रयोजन | रकम (रूपयों में) | नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | परमिट (अस्थाई परमिट से भिन्न) की मंजूरी/नवीकरण/ प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन के लिये | | 5.5, 5.27 और 5.28 |
| | (i) दो सीट वाले ऑटो रिक्शा | 100/– | |
| | (ii) शैक्षिक संस्था बस/मिनीबस/टैम्पों/विक्रम/ऑटो तांगा | 250/– | |
| | (iii) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी | | |
| | (क) अन्तर्राज्यीय परमिट के लिए | 1500/– | |
| | (ख) अन्तर्राज्यीय परमिट से भिन्न | 750/– | |
| | (iv) मोटर–कैब/मैक्सी कैब/पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर | 300/– | |
| 2. | परमिट (अस्थाई परमिट से भिन्न) की मंजूरी और नवीकरण के लिये | | 5.9 5.27 और 5.28 |
| | (i) मिनी बस को छोड़कर मंजिली गाड़ी, पब्लिक कैरियर, प्राइवेट कैरियर, ठेका गाड़ी | 1500/– | |
| | (ii) शैक्षिक संस्था बस/मिनी बस/मोटर कैब/ मैक्सी कैब, | 1000/– | |
| | (iii) ऑटो तांगा/ऑटोरिक्शा/विक्रम/टैम्पों | 300/– | |
| 3. | 30 दिन या उसके भाग के लिये अस्थाई परमिट या प्रतिहस्ताक्षर की मंजूरी के लिये | 200/– | 5.5 |
| 4. | गैर अस्थाई परमिट के प्रतिहस्ताक्षर या उसके नवीकरण के लिये | | 5.28 |
| | (i) भारी परिवहन यानों के लिये | 1500/– | |
| | (ii) मध्यम परिवहन यानों के लिये | 1000/– | |
| | (iii) हल्के परिवहन यानों के लिये | 500/– | |
| 5. | विरासत या उत्तराधिकारी द्वारा अन्यथा परमिट के अन्तरण के लिये फीस | | 5.36 |
| | (i) मंजिली गाड़ी | 3000/– | |
| | (ii) मोटर कैब, मैक्सी कैब, टैम्पों, विक्रम और ऑटो रिक्शा से भिन्न पब्लिक कैरियर और ठेका गाड़ी, | 1500/– | |
| | (iii) ठेका गाड़ी (मिनी बस, टैम्पो, विक्रम, मोटर–कैब, मैक्सी कैब) | 1000/– | |
| | (iv) ऑटो रिक्शा और ऑटो तांगा | 500/– | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | (i) रा.प.अ.प्रा. में रा.प्र.प्रा. के आदेश के विरूद्ध अपील के लिये फीस<br>(ii) प्रा.प.प्रा. के आदेश के विरूद्ध अपील के लिये फीस<br>(iii) रा.प.प्रा. / प्रा.प्र.प्रा. के आदेश के पुनरीक्षण के लिये फीस | 500 / –<br>500 / –<br>500 / – | 5.44 |
| 7. | परमिट की दूसरी प्रति के लिये फीस<br>(I) भाग क–प्रत्येक प्रति<br>(क) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी<br>(i) विकृत / विरूपित के लिए<br>(ii) खो जाने / चोरी हो जाने की दशा में<br>(ख) मोटर कैब / मैक्सी कैब / टैम्पों / विक्रम / मिनी बस / ऑटो रिक्शा / ऑटो तांगा / पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर<br>(II) भाग ख–प्रत्येक प्रति<br>(क) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी<br>(i) विकृत / विरूपित के लिये<br>(ii) खो जाने / चोरी हो जाने की दशा में<br>(ख) मोटर कैब / मैक्सी कैब / ऑटो रिक्शा / मिनीबस / टैम्पों / विक्रम / ऑटो–तांगा / पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर<br>(III) अस्थाई परमिट–प्रत्येक प्रति<br>(IV) प्राधिकार पत्र प्रत्येक प्रति | 200 / –<br>1000 / –<br>200 / –<br>200 / –<br>1000 / –<br>200 / –<br>200 / –<br>200 / – | 5.38 |
| 8. | अभिकर्त्ता की अनुज्ञप्तिः–<br>(i) आवेदन फीस<br>(ii) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये<br>प्रत्येक अतिरिक्त संस्थापन की अनुपूरक अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये | 5000 / –<br>1000 / –<br>1000 / – प्रत्येक | 5.73 (3) और 5.77 |
| | (iii) यदि आवेदन समय के भीतर कर दिया गया है तो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये<br>(क) मूल अनुज्ञप्ति<br>(ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिये | 1000 / –<br>1000 / – | 5.78 |
| | (iv) यदि आवेदन विलम्ब से किया गया है तो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये<br>(क) मूल अनुज्ञप्ति<br>(ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिये | 1500 / –<br>1500 / – | 5.78 |
| | (v) दूसरी प्रति जारी करने के लिये<br>(क) मूल अनुज्ञप्ति<br>(ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिए | 1000 / –<br>1000 / – | 5.84 |
| | (vi) अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिये | 500 / – | 5.85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | परमिट के रद्दकरण के लिये आवेदन फीस<br>(i) दुपहिया/ऑटो रिक्शा के लिए<br>(ii) मिनी बस/टैम्पो/विक्रम/ऑटो तांगा के लिये<br>(iii) मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये<br>(क) अन्तर्राज्यिक परमिट के लिये<br>(ख) अन्तर्राज्यिक से भिन्न परमिट के लिये<br>(iv) मोटर कैब/मैक्सी कैब/पब्लिक कैरियर/प्राइवेट कैरियर | <br>100/-<br>250/-<br><br>1000/-<br>500/-<br>300/- | 5.35 (3) |
| 10 | किसी मंजिली गाड़ी की पहले से जारी समय सारणी में प्रत्येक संशोधन के लिये आवेदन फीस यदि परमिट-धारक द्वारा आवेदन किया जाये। | 1000/- | 5.39 |

"

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोडा)
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

क्रमांकः प 7 (4)परि/नियम/मु./II/92/12005-18 जयपुर, दिनांकः– 30-06-2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 1-7-15 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
10. अपर परिवहन आयुक्त, ........................................(समस्त) जोन।
11. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
12. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी........................समस्त।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव